ब अदालत अंचल अधिकारी, मधुपुर (देवघर) पंजी–II फोरम संख्या– 562

आदेश फलक

(अभिलेख हस्तकाय नियम– 129)

नमांतरण बाद सं0 :- 512/16-17

तिथि	पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश एवं हस्ताक्षर	कार्यवाही
1	2	3
7.3.17	अभिलेख उपस्थित प्रस्तुत वाद आवेदन कार्यपालक अभियंता सिचाई प्रमण्डल जसीडीह शिविर, देवघर जिला– देवघर द्वारा दलित आवेदन पत्रांक–33 दिनांक 23.01.2017 द्वारा प्राप्त किया गया। आवेदक पुनासी जलासय योजना हेतु वन भुमि अपयोजन के सर्वेक्ष क्षतिपुरक गैर बन भुमि का नामांरण राज्य वन विभाग झारखण्ड सरकार के पक्ष में करने का अनुरोध किया है।	

नामांरण हेतु आवेदित भुमि का विवरणी निम्न प्रकार है।

मौजा का नाम	थाना नं0	खाता सं0	दाग नं0	रकवा	किस्म
तिलैया	123	20	181	05 एकड	जंगल झाड़ी

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन मांगे। अभिलेख दिनांक 14.3.17 को प्रप्त करें।

लेखापित।

अंचल अधिकारी,
मधुपुर।

अंचल अधिकारी,
मधुपुर।

तिथि	पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश एवं हस्ताक्षर	कार्यवाही
1	2	3
14.3.17	अभिलेख उपस्थापित हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। मौजा के 16 आना रैयत को आपती संबंधी दाखिला का नोटिस कर आदेश हेतु अभिलेख दिनांक 21.3.17 को प्रस्तुत करें। लेखापित। अंचल अधिकारी, मधुपुर। अंचल अधिकारी, मधुपुर।	

तिथि	पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश एवं हस्ताक्षर	कार्यवाही
1	2	3
21.3.17	अभिलेख उपस्थापिता पिता हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त सौलह आना रैयत का नोटिश का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। किसी भी व्यक्ति के द्वारा आपति नहीं की गयी है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित जमीन मौजा– तिलैया थाना नं0– 123 के ज0न0– 20 दाग नं0– 181 में जंगल झाड़ी कहकर गैरमजुरूआ खाता में दर्ज है। उपायुक्त देवघर पत्रांक– 786 एवं संथाल परगाना प्रमंडल, दुमका के पत्रांक– 364 दिनांक 18.10.2011 के आलोक में जमीन पुनासी जलाशराय योजना हेतु क्षतिपुरक गैर वन भूमि मौजा– तिलैया थाना नं0– 123 खाता नं0– 20 दाग नं0– 181 रकवा– 05 एकड़ भूमि नामांतरण हेतु हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा अनुशंसा की गयी है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के आधार पर मौजा– तिलैया थाना नं0– 123 ज0न0– 20 दाग नं0– 181 रकवा 05 एकड़ भूमि नामांतरण राज्य वन विभाग झारखण्ड सरकार के नाम से करने की ....स्वीकृति.... दी जाती है। अनुशांसित लगान– 10रू0 अलावे सेस निर्धारित की जाती है। अभिलेख सहायक को निर्देश दिया जाता है कि शुद्धि पत्र को प्रतियों में हस्ताक्षरार्थ हेतु दिनांक .... को उपस्थापित करें। लेखापित। अंचल अधिकारी, मधुपुर। अंचल अधिकारी, मधुपुर। अभिलेख उपस्थापिता शुद्धि पत्र चार प्रतियों में हस्ताक्षरार्थ उपस्थापित।हस्तक्षरार्थ शुद्धि पत्र राज्य कर्मचारी को एक प्रति हस्तागत करें। लेखापित। अंचल अधिकारी, मधुपुर। अंचल अधिकारी, मधुपुर।	

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय सिंचाई प्रमंडल जसीडीह, शिविर, देवघर का पत्रांक 33 दिनांक 23.1.17 द्रष्टव्य

नामान्तरण हेतु शुद्धि–पत्र

अंचल व अनुमंडल—मधुपुर, जिला—देवघर

नामान्तरण वाद संख्या :– 312/16-17

क्र0 सं0	पंजी II (दो) में दर्ज मामलों की संख्या एवं वर्ष	मौजा एवं थाना संख्या	आदेश देनेवाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	नामान्तरण आ आधार	नामान्तरण जीनन का पूर्ण विवरण	मन्तव्य
1	2	3	4	आयुक्त संथाल परगना प्रमंडल दुमका के पत्रांक	6 दाग नं0 181	
		तिलैया 123	[redacted] अंचल अधिकारी, मधुपुर।	रजिस्टर निबंधन कार्यालय केवाला सं0 364 दिनांक 18.10.11 एवं हल्का कर्मचारी व प्रभारी अंचल निरिक्षक के जाँच प्रतिवेदन।	पुराना खाता संख्या 20 रकबा 23.30 वर्गफीट लगान .... श्री/श्रीमती .... के नाम से दर्ज है। नया खाता संख्या 20/A रकबा 5.00 ए0 क0 .... धू0 .... / .... वर्गफीट लगान 50.00 .... अलावे शेष श्री/श्रीमती .... राज्य पथ निर्माण पिता/पति .... सा0/मोहल्ला .... अंचल .... जिला .... के नाम से नामान्तरण करने की स्वीकृति दी जाती है। लगान एवं अन्य वसूली योग शेष बकाये की तिथि से देय होगा। यह आदेश हल्का कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरिक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं ~~सेलडीड~~ के आधार पर दिया जाता है। आयुक्त संथाल परगना प्र0 दुमका के पत्रांक 364 दिनांक 18.10.11	

अंचल अधिकारी,
मधुपुर 8.3.17

शुद्धि पत्र चार प्रतियों में हल्का कर्मचारी सं0.......................को आदेश दिया जाता है कि वे लगान एवं अन्य वसूली योग शेष बकाये की तिथि से वसूली करें तथा इनका अनुपालन प्रतिवेदन कार्यालय को शीघ्र लौटायें।

अंचल कार्यालय मधुपुर जिला देवघर

437
15/5/17

15.5.17